न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/46/2025	2025/113	02.06.2025	29.07.2025

1. सुनील कुमार पुत्र स्व० श्री रामनिवास गुप्ता निवासी 53 आर्य नगर, अलवर जिला अलवर।

——प्रार्थी

बनाम

1. तैयब पुत्र भौंण्डा
2. काले खॉ पुत्र भौण्डा
3. आबिद पुत्र आंसू खॉ
4. साबिर खॉ पुत्र आंसू खॉ
5. रूकमुदीन पुत्र आंसू खॉ
6. तुसमीन खॉ पुत्र आंसू खॉ
7. रहीसन बेवा आंसू खॉ
8. नुरसर पुत्री आंसू खॉ
9. पप्पी पुत्री आंसू खॉ
10. वाजिदा पुत्री आंसू खॉ
11. महताबी बेवा भौंण्डा खॉ
12. दौली पुत्री भौंण्डा खॉ
13. रशमिना पुत्री भौंण्डा खॉ
14. मिनकुना पुत्री भौंण्डा खॉ

    जाति मेव, निवासीयान महुआ खुर्द तहसील मालाखेडा।
15. मैसर्स मारिचिका प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 910 अंसल भवन 16 के जी मार्ग, नई दिल्ली।
16. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मालाखेडा।

—अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—

01—श्री कमल सिंह रावत —वकील प्रार्थी

02—श्री गणपत सिंह नरूका —वकील अप्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के प्रकरण बउनवान मदन लाल वगैरा बनाम भौण्डा मृतक वारिस तैयब वगैरा मु.सं. 3/1 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के यहाँ बउनवान मुकदमा मदन लाल वगैरा बनाम भौण्डा खॉ मृतक वारिस तैयब वगैरा का जेर तजवीज है कि जो दावा दिनांक 24.12.2024 को अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसे नम्बर पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। जो प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 18.06.2025 नियत है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र लम्बित रहने के दौरान अप्रार्थी ने एक माह

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

की अवधि के अन्दर–अन्दर विवादित आराजी का लोन बैंक को चुकाकर एन ओ सी ले ली इन्तकाल अपने नाम चढवा लिया और उसके तुरन्त बाद जमीन को शैलेन्द्र, आजाद, कबूल, रामकिशन को बेच दिया। जो इन्तकाल संख्या–1248, 1251, 1252 उनके नाम चढे उनको निरस्त कराने की कार्यवाही शैलेन्द्र, कबूल, आजाद व रामकिशन के विरूद्ध अपील एस डी एम साहब, मालाखेडा व अतिरिक्त कलक्टर संख्या–2 के यहाँ कर रखी है। अतिरिक्त कलक्टर साहब के समक्ष लम्बित अपील में रटे जारी किया हुआ है रटे के कारण पुलिस ने उनके द्वारा विवादित नम्बरों पर जो निर्माण कार्य दुकान बनाने का किया जा रहा था वो रोक दिया उसके बाद से उन्होने प्रार्थी पर दो बार जानलेवा हमला कर दिया और प्रार्थी को धमकी दे रखी है कि मालाखेडा पेशी पर आयेगा तो तूझे एक्सीडेन्ट में या अन्य किसी भी तरीके से तूझे जान से मार देगे। हमारे खिलाफ जो केस कर रखे हैं उन्हें वापिस ले ले नहीं तो अपनी जान से हाथ धोना पडेगा। इसलिए यह गुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम हुआ है। ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य पेश की जा रही है। अन्य वादियो/प्रार्थीगण की सहमति से यह प्रार्थना पत्र सुनील द्वारा पेश किया जा रहा हैं। प्रतिवादीगण काफी झगडालू किस्म के व्यक्ति है जिन्होने अपना एक नाजायज गिरोह बनाया हुआ है जब भी मिन प्रार्थी मालाखेडा मुकदमें की पेशी पर जाता है तो उक्त सभी अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ झगडा फसाद करते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ मालाखेडा पेशी पर नहीं आ सकता अगर आयेगा तो तूझे जान से खतम कर देगे और तूझे खेत की तरफ नहीं देखने देगे। दिनांक 08.05.2025 को जब मिन प्रार्थी एस डी एम साहब मालाखेडा की कोर्ट से पेशी करके वापस आ रहा था तो बुजा बाई पास पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी पर जानलेवा हमला कर दिया बडी मुश्कील से जान बची तथा धमकी दी की मुकदमा वापिस ले ले नहीं तो जान से मार देगे। कार से टक्कर मार जान से खतम कर देगे। जिस उक्त घटना की एफ आई आर संख्या–267/25 पुलिस थाना सदर में दर्ज कराई है। शैलेन्द्र का ग्राम भूगोर पडता है जब प्रार्थी मालाखेडा जाता है तो बीच में पडता है। उक्त लोग भू–माफिया गुण्डे किस्म के व्यक्ति हैं। दिनांक 16.05.2025 को अप्रार्थीगण की शिकायत ए डी एम साहब प्रथम से कर वापिस घर जा रहा था तो स्टेडियम के पास अप्रार्थीगण व उसके साथियों ने प्रार्थी पर हमला कर दिया और बुरी तरह मारा पीटा लोगो ने बचाया, पुलिस मौके पर आ गई और एम्बूलेंस से अस्पताल भर्ती कराया। जिसकी एफ आई आर पुलिस थाना अरावली विहार अलवर में एफ आई आर नम्बर– 236/2025 दर्ज कराई जा चुकी है। जिसमें घटना का पूर्ण विवरण दर्ज है। अप्रार्थीगण कभी भी जानलेवा हमला कर सकते हैं व जान से मार सकते हैं। जिससे उक्त मुकदमें को एस डी एम साहब मालाखेडा से एस डी एम साहब अलवर की अदालत में मुन्तकिल किया जाना अति आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त मुकदमा बअनुवान मदन लाल बनाम भौण्डा मृतक वारिस तैयब वगैरा आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.06.2025 की नियत है, को एस डी एम साहब मालाखेडा से एस डी एम साहब, अलवर या अन्य किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावे ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके व जान माल के खतरे से बच सके।

अप्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र महज प्रकरण में अनावश्क देरी करने व लम्बित रखने की मंशा से पेश किया गया हैं। न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही की जा रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.01.2025 को पुनः नम्बर का प्रार्थना पत्र लगाया गया। जिसमें आगामी तारीख पेशी 28.01.2025 नियत की गई। इसके बाद आगामी तारीख पेशी 06.03.205, 17.03.2025, 24.03.2025, 07.04.2025, 28.04.2025 एवं 18.06.2025 तारीख पेशी न्यायालय द्वारा दी गई। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप मनगढन्त एवं निराधार हैं। पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद की एफ आई आर नम्बर 236/2025 दर्ज कराई

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

गई। जिस पर कार्यवाही जेरकार हैं। उक्त फौजदारी प्रकरण रो प्रार्थना पत्र मुंतकिल का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं हैं अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.01.2025 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के समक्ष पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सुनवाई की जा रही हैं। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य आपसी विवाद एवं जान माल का खतरा होने के सम्बन्ध में प्रार्थीगण विधिवत् रूप से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में एवं प्रार्थी की जान माल के खतरे का आपस में कोई सम्बन्ध व सरोकार प्रतीत नहीं होता हैं। प्रार्थी को जान माल का खतरा हैं, तो नियमानुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लेने के सम्बन्ध में विधिवत् सुनवाई की जा रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय की उक्त कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं। उक्त प्रार्थना पत्र को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल औचित्य हीन होने पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान